

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 215/2020

दायर दिनांक: 17/12/2020

उनवान

1. गजेन्द्र शर्मा आयु 32 वर्ष पुत्र धारा सिंह जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. हरीश शर्मा आयु 31 वर्ष पुत्र धारा सिंह जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. धारा सिंह आयु 60 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. मथरी बाई पत्नि स्व० नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. लाड़बाई आयु 68 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी राजमंदिर के पास नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
4. राजकुमारी शर्मा आयु 4 वर्ष पुत्री धारा सिंह पत्नि लोकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी मंडाप तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)
5. इन्द्रा शर्मा आयु 36 वर्ष पुत्री धारा सिंह पत्नि रवि तिवारी जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
6. दीपाकंवर पत्नि भारतसिंह जाति राजपूत निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. हेमराज पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. कलावती बाई पुत्री मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
10. काली पुत्री बाबूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. छोटूलाल पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

12. नगेन्द्र बाई पुत्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारा (राज)
13. निर्मल पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
14. पानबैलबाई पत्नि स्व० बादूलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
15. भगवानलाल पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
16. भैरूलाल पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
17. राजू पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
18. विजेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
19. हनुमान प्रसाद पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
20. हेमराज पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
21. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
22. राजस्थान सरकार जर्ने तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट०

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री बट्टीलाल नागर ।


प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर ।

आदेश

दिनांक: 14/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 138 के ख०न० 1072 का रकबा 0.02 है०, ख०न० 1199 का रकबा 0.17 है०, ख०न० 1200 का रकबा 0.16 है०, ख०न० 315 का रकबा 1.33 है०, ख०न० 334 का रकबा 1.54 है०, ख०न० 56 का रकबा 1.74 है०, ख०न० 861 का रकबा 1.92 है० कुल कित्ता 7 का रकबा 6.88 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दर्ज खाता स्थित हैं एवं खाता संख्या 139 के ख०न 1392 का रकबा 2.67 है०, ख०न० 1397 का रकबा 2.98 है०, ख०न० 1401 का रकबा 0.28 है० कुल कित्ता 3 का

रकबा 5.93 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित हैं एवं खाता संख्या 140 के ख०न० 1202 का रकबा 0.08 है०, ख०न० 1203 का रकबा 0.26 है० कुल किता 2 का रकबा 0.34 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 20 के दर्ज खाता स्थित हैं एवं खाता संख्या 248 के ख०न० 871 का रकबा 4.34 है०, ख०न० 872 का रकबा 0.03 है० कुल किता 2 का रकबा 4.37 है० आराजी प्रतिवादीया क्रम 2 के दर्ज खाता स्थित हैं। नकल नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 138, 139, 140 व 248 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैं:-



वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 138 का कुल किता 7 का रकला 6.88 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के दर्ज खाता हैं तथा खाता संख्या 139 का कुल किता 3 का रकबा 5.93 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता हैं एवं खाता संख्या 140 का कुल किता 2 का रकबा 0.34 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा 3/8 दर्ज खाता हैं तथा खाता संख्या 248 का कुल किता 2 का रकबा 4.37 है० आराजी वादीगण की दादी प्रतिवादीया क्रम 2 मथुरीबाई के दर्ज खाता स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजी पैत्रक सम्पत्ति है। वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह के पुत्र है जिनका जन्म से ही उक्त वर्णित आराजी में हिस्सा व अधिकार बनता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में अपना हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। नकल जभाबन्दी खाता संख्या 138, 139, 140, 248 सम्वत् 2074 से 2077 साथ में संलग्न हैं। वादीगण प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 20 से कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं इसलिए प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 20 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 20 की तलबी नहीं

करवाना चाहते हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है यदि वादीगण का नाम उक्त वर्णित आराजी में दर्ज नहीं किया गया तो वादीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा यदि प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा आराजी का बेचान कर दिया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझन पड़ेगा। इसलिए वादीगण को वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित खाता संख्या 138, 139 140 व 248 की आराजी को कई रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतिवादीया क्रम 2 मथरीबाई ने अपने हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 21 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा है। इसलिए बैंक को प्रतिवादी क्रम 21 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी की घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 22 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज० सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिए 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 05/12/2020 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा आराजी बेचान करने की धमकी देने तथा अंतिम बार दिनांक 10/12/2020 को वादीगण का नाम खाते में दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम खुरी तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि:-

- (अ) वादीगण का वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित ग्राम खुरी की खाता संख्या 138 का कुल कित्ता 7 का रकबा 6.88 है० तथा खाता संख्या 139 का कुल कित्ता 3 का रकबा 5.93 है० एवं खाता संख्या 140 का कुल कित्ता 2 का रकबा 0.34 है तथा खाता संख्या 248 का कुल कित्ता 2 का रकबा 4.37 है० आराजी में वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें।
- (ब) प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द फरमाया जावें कि वह खाता संख्या 138, 139, 140 व 248 की आराजी में दर्ज अपने हिस्से की आराजी को कई रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें।
- (स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्जे सम्मन की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है, जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। वाके ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 138 का कुल कित्ता 7 का कुल रकबा 6.88 हेक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के दर्ज खाता स्थित है एवं खाता संख्या 139 का कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 5.93 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है एवं खाता संख्या 140 का कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.34 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 20 के दर्ज खाता स्थित है तथा खाता संख्या 248 का कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 4.37 है० आराजी प्रतिवादिया क्रम 2 मथरी बाई के दर्ज खाता स्थित है। खाता संख्या 138 का कुल कित्ता 7 का कुल रकबा 6.88 हेक्टर तथा खाता संख्या 139 का कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 5.93 हेक्टर आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा $1/4$ दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा $1/12$ दर्ज है इसलिए उक्त दोनों खातो की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/60 - 1/60$ बनता है तथा खाता संख्या 140 का कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.34 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा $3/8$ दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा $1/8$ दर्ज है इसलिए उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/40 - 1/40$ बनता है तथा

खाता संख्या 248 का कुल किता 2 का कुल रकबा 4.37 है० आराजी वादीगण की दादी प्रतिवादिया क्रम 2 मथरी बाई के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रतिवादी क्रम, 1 लगायत 3 का हिस्सा $1/3 - 1/3$ बनता है इसलिए उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/15 - 1/15$ बनता है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने अपने हिस्से की आराजी का. हकत्याग स्वेच्छा से वादीगण के पक्ष में कर दिया है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद एवं हकत्याग के मुताबिक राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड० द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर एड० द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा०फा० किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 138 के ख०न० 1072 का रकबा 0.02 है०, ख०न० 1199 का रकबा 0.17 है०, ख०न० 1200 का रकबा 0.16 है०, ख०न० 315 का रकबा 1.33 है०, ख०न० 334 का रकबा 1.54 है०, ख०न० 56 का रकबा 1.74 है०, ख०न० 861 का रकबा 1.92 है० कुल किता 7 का रकबा 6.88 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दर्ज खाता स्थित हैं एवं खाता संख्या 139 के ख०न 1392 का रकबा 2.67 है०, ख०न० 1397 का रकबा 2.98 है०, ख०न० 1401 का रकबा 0.28 है० कुल किता 3 का रकबा 5.93 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित हैं एवं खाता संख्या 140 के ख०न० 1202 का रकबा 0.08 है०, ख०न० 1203 का रकबा 0.26 है० कुल किता 2 का रकबा 0.34 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 20 के दर्ज खाता स्थित हैं एवं खाता संख्या 248 के ख०न० 871 का रकबा 4.34 है०, ख०न० 872 का रकबा 0.03 है० कुल किता 2 का रकबा 4.37 है० आराजी प्रतिवादीया क्रम 2 के दर्ज खाता स्थित हैं। उक्त आराजी में वादीगण का अपना हिस्सा पृथक दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया खाता संख्या 138 कुल किता 7 रकबा 6.88 है० व खाता संख्या 139 किता 3 रकबा 5.93 है० में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा $1/4$ दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा $1/12$ दर्ज है इसलिए उक्त दोनों खातों की

आराजी में वांटीगण एवं प्रतिवादी क्रमं 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/60 - 1/60$ बनता है तथा खाता संख्या 140 का कुल किता 2 का कुल रकबा 0.34 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा $3/8$ दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा $1/8$ दर्ज है इसलिए उक्त आराजी में वांटीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/40 - 1/40$ बनता है तथा खाता संख्या 248 का कुल किता 2 का कुल रकबा 4.37 है० आराजी वांटीगण की दादी प्रतिवादिया क्रम 2 मथरी बाई के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रतिवादी क्रम, 1 लगायतं 3 का हिस्सा $1/3 - 1/3$ बनता है इसलिए उक्त आराजी में वांटीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/15 - 1/15$ बनता है। उक्त वर्णित भूमि पैतृक होने से वांटीगण 1 लगायत 2 व प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का जन्म से अधिकार नियत है तथा वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने अपने हिस्से की आराजी का. हकत्याग स्वेच्छा से वांटीगण के पक्ष में कर दिया है। अतः आपसी सहमति से वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खुरी खाता संख्या 138 कुल किता 7 रकबा 6.88 है० व खाता संख्या 139 किता 3 रकबा 5.93 है० में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा $1/4$ दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा $1/12$ दर्ज है इसलिए उक्त दोनों खातो की आराजी में वांटीगण एवं प्रतिवादी क्रमं 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/60 - 1/60$ तथा खाता संख्या 140 का कुल किता 2 का कुल रकबा 0.34 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा $3/8$ दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा $1/8$ दर्ज है इसलिए उक्त आराजी में वांटीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/40 - 1/40$ तथा खाता संख्या 248 का कुल किता 2 का कुल रकबा 4.37 है० आराजी वांटीगण की दादी प्रतिवादिया क्रम 2 मथरी बाई के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रतिवादी क्रम, 1 लगायतं 3 का हिस्सा $1/3 - 1/3$ बनता है इसलिए उक्त आराजी में वांटीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा $1/15 - 1/15$ का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने अपने हिस्से की आराजी का हक त्याग स्वेच्छा से वादीगण के पक्ष में कर दिया है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी वादीगण के खाते निम्न प्रकार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं:-

ग्राम खुरी की खाता संख्या 138 किता 7 रकबा 6.88 मे वादीगण 1 व 2 का हिस्सा $1/2$ $1/2$,
खाता संख्या 139 किता 3 रकबा 5.93 है0 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा $1/8$ $1/8$,
खाता संख्या 140 किता 2 रकबा 0.34 है0 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा $3/16$ $3/16$,
खाता संख्या 248 किता 2 रकबा 4.37 है0 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा $1/2$ $1/2$,
रहन का नोट वादीगण के खाते दर्ज की जावें।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में हक त्याग स्टाम्प शुल्क व पृष्ठांकन शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने की शर्त पर अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 215/2020

उनवान

1. गजेन्द्र शर्मा आयु 32 वर्ष पुत्र धारा सिंह जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. हरीश शर्मा आयु 31 वर्ष पुत्र धारा सिंह जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. धारा सिंह आयु 60 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. मथरी बाई पत्नि स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. लाडबाई आयु 68 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी राजमंदिर के पास नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
4. राजकुमारी शर्मा आयु 4 वर्ष पुत्री धारा सिंह पत्नि लोकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी मंडाप तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
5. इन्द्रा शर्मा आयु 36 वर्ष पुत्री धारा सिंह पत्नि रवि तिवारी जाति ब्राहमण निवासी खुरी हाल निवासी खेड़लीगंज अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. दीपाकवर पत्नि भारतसिंह जाति राजपूत निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. प्रदीप कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
8. हेमराज पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
9. कलावती बाई पुत्री मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
10. काली पुत्री बाबूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
11. छोटूलाल पुत्र राधाकिशन जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
12. नगेन्द्र बाई पुत्री बाबूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
13. निर्मल पुत्र बाबूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
14. पानबैलबाई पत्नि स्व0 बादूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
15. भगवानलाल पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
16. भैरूलाल पुत्र राधाकिशन जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
17. राजू पुत्र बाबूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
18. विजेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति भीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
19. हनुमान प्रसाद पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
20. हेमराज पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
21. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
22. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई₹..... रूबरू.....₹.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रुबरू

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खुरी खाता संख्या 138 कुल किता 7 रकबा 6.88 है0 व खाता संख्या 139 किता 3 रकबा 5.93 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा 1/12 दर्ज है इसलिए उक्त दोनों खातो की आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा 1/60 -1/60 तथा खाता संख्या 140 का कुल किता 2 का कुल रकबा 0.34 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा 3/8 दर्ज खाता है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 धारासिंह का हिस्सा 1/8 दर्ज है इसलिए उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा 1/40 - 1/40 तथा खाता संख्या 248 का कुल किता 2 का कुल रकबा 4.37 है0 आराजी वादीगण की दादी प्रतिवादिया क्रम 2 मथरी बाई के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रतिवादी क्रम, 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3 - 1/3 बनता है इसलिए उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1, 4 व 5 का हिस्सा 1/15 - 1/15 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने अपने हिस्से की आराजी का. हकत्याग स्वेच्छा से वादीगण के पक्ष में कर दिया है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के हिस्से की सम्पूर्ण आराजी वादीगण के खाते निम्न प्रकार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं:-

ग्राम खुरी की खाता संख्या 138 किता 7 रकबा 6.88 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा 1/2 1/2 , खाता संख्या 139 किता 3 रकबा 5.93 है0 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा 1/8 1/8 ,

खाता संख्या 140 किता 2 रकबा 0.34 है0 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा 3/16 3/16 ,

खाता संख्या 248 किता 2 रकबा 4.37 है0 में वादीगण 1 व 2 का हिस्सा 1/2 1/2 ,

रहन का नोट वादीगण के खाते दर्ज की जावें।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में हक त्याग स्टाम्प शुल्क व पृष्ठांकन शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने की शर्त पर अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निजर..... मुबालिकर..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहर.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकर..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)